रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1631] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2009/आश्विन 16, 1931
No. 1631] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2009/ASVINA 16, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2009

का.आ. 2563(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 4 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप धारा (3घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का. आ. 509(अ) तारीख 18 फरवरी, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त आदेश में,-

(क) पैरा 4 में, '1-8-2009' अंकों के स्थान पर '31-3-2010' अंक रखे जाएंगे।

(ख) पैरा 4 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"4क. चीनी के उत्पादक से भिन्न कोई व्यक्ति, जो 31-07-2009 को या उसके पश्चात् और 31-03-2010 तक किसी चीनी कारखाने द्वारा जॉब आधार पर प्रसंस्करण करवाने के लिए शून्य शुल्क पर कच्ची चीनी का आयात करता है, कच्ची चीनी के ऐसे आयातों को मासिक आधार पर प्रोफार्मा 2क में उत्तरवर्ती मास के दस कार्य दिवसों के भीतर रजिस्टर करेगा;

4ख. आयात की गई कच्ची चीनी में से प्रसंस्कृत चीनी की कोई मात्रा, जो निर्धारित अवधि के भीतर बिक्री के लिए आदेश दी गई मात्रा में से चीनी के संबंधित उत्पादक या व्यक्ति, जिनका उल्लेख पैरा 4 या 4क में किया गया

है, द्वारा अविक्रीत या अप्रेषित रह जाती है, तो उसे लेवी चीनी में परिवर्तित कर दिया जाएगा";

(ग) पैरा 6 में,-

(i) "(नेफेड)" कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"या कोई अन्य केन्द्रीय या राज्य सरकार का पब्लिक सैक्टर का कोई अभिकरण या कोई अन्य व्यक्ति";

(ii) "01-08-2009" अंकों के स्थान पर '30-11-2009' अंक रखे जाएंगे;

(घ) प्रोफार्मा-2 में,

(i) '2009' अंकों के स्थान पर '2009 या 2010' अंक रखे जाएंगे।

(ii) "भाग क" शब्द और अक्षर का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 1(9)/2008-एसपी-I]
आर. पी. भागरिया, मुख्य निदेशक (शर्करा)

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग2, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में का.आ.509(अ.), तारीख 18 फरवरी, 2009 को प्रकाशित की गई थी जिसमें पश्चातवर्ती का.आ.1067(अ.), तारीख 29 अप्रैल, 2009 द्वारा संशोधन किया गया था।

प्रोफार्मा-2क

(पैराग्राफ 4क देखें)

.... मास, ... के लिए कच्ची चीनी के आयात के संबंध में विवरणी

कच्ची चीनी का आयात करने वाले व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन नम्बर, फैक्स नम्बर और ई-मेल पता :

उस/उन चीनी कारखाने/कारखानों का नाम, पता, टेलीफोन नम्बर, फैक्स नम्बर और ई-मेल पता जिसके/जिनके साथ कच्ची चीनी के संसाधान के लिए करार प्रवृत्त है :

आयात की गई कच्ची चीनी का जॉब आधार पर संसाधन

(टन में)

आयातकर्ता का नाम और आई.ई.सी कोड सं0	आयात की गई कच्ची चीनी की मात्रा	चीनी कारखाने या कारखानों को सुपुर्द की गई कच्ची चीनी की मात्रा	मास के दौरान संसाधित कच्ची चीनी की मात्रा	मास के दौरान कच्ची चीनी से उत्पादित श्वेत/परिष्कृत चीनी की मात्रा	मास के अंत में शेष कच्ची चीनी	मासिक निर्गत आदेशों के प्रति बेची गई श्वेत/ परिष्कृत चीनी की मात्रा	मास के अंत में शेष श्वेत/ परिष्कृत चीनी
1	2	3	4	5	6(3-4)	7	8

(कच्ची चीनी का आयात करने वाले व्यक्ति के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे)

स्थान: नाम:

तारीख: पदनाम:

कार्यालय की मुहर

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 8th October, 2009

S.O. 2563(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3D) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), read with clause 4 of the Sugar (Control) Order,1966, the Central Government hereby further to amend S.O. 509(E), dated 18th February, 2009, namely:-

2. In the said order, -

(a) in paragraph 4, for the figures '1-8-2009', the figures '31-03-2010' shall be substituted;

(b) after paragraph 4, the following paragraphs shall be inserted, namely:-
"4A. A person other than a producer of sugar who imports raw sugar at zero duty for processing on job basis by a sugar factory on or after 31-07-2009 and upto 31-03-2010 shall register such imports of raw sugar on monthly basis in Proforma IIA within ten working days of the succeeding month;

4B. Any portion of sugar processed out of imported raw sugar that remains unsold or undespatched by the concerned producer of sugar or person referred to in para 4 or 4A out of the quantity ordered for sale within the prescribed period shall be converted into levy sugar";

(c) in paragraph 6, -

(i) after the brackets and letters "(NAFED)",the following shall be inserted, namely: -

"or any other Central or State Public Sector agency or any other person";

(ii) for the figures, "01-08-2009", the figures "30-11-2009", shall be substituted;

(d) in proforma-II,

(i) for the figure "2009", the figures "2009 or 2010" shall be substituted;

(ii) the word and letter "part A", shall be omitted;

[F. No. 1(9)/2008-SP. I]

R. P. BHAGRIA, Chief Director (Sugar)

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 509(E) dated the 18th February,2009, which was subsequently amended vide number S.O 1067 (E), dated the 29th April,2009.

PROFORMA - II A

(see paragraph - 4A)

Return on import of raw sugar for the month of ....

Name, address, Telephone No. Fax No. and
e-mail address of the person importing raw sugar:

Name, address, Telephone No., Fax No. and
e-mail address of the sugar factory or
sugar factories with which agreement for processing of raw sugar is in force:

Processing of imported raw sugar on job basis

(in tons)

Name of the importer with IEC Code No.	Quantity of raw sugar imported	Quantity of raw sugar delivered to sugar factory or factories	Quantity of raw sugar processed during the month	Quantity of white/refined sugar produced out by raw sugar during the month	Outstanding balance of raw sugar at the end of the month	Quantity of white/refined sugar sold against monthly release orders.	Outstanding balance of white/refined sugar at the end of the month
1.	2.	3.	4.	5.	6 [3-4]	7.	8.

(To be signed by an authorized representative of the person importing raw sugar)

Place: Name

Date: Designation:

Official Seal:

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.